संख्या-45/2025/001-439-25-27-3099/120/2025

प्रेषक,

सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 16 जुलाई, 2025**

विषय:- हिण्डन यमुना दोआब बन्ध के ग्राम शहदरा की प्रयुक्त भूमि के भूप्रतिकर के सबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-348/मु0अ0(अनि)/अनिमं-6/यू-3/भू-प्रतिकर/यमुना, दिनांक 29.04.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद से संबंधित हिण्डन यमुना दोआब बन्ध ग्राम शहदरा की प्रयुक्त भूमि के भू-प्रतिकर के भुगतान के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-16868/2025 सरनी बनाम उ0प्र0 राज्य व 4 अन्य में द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 के अनुपालन हेतु वित्तीय स्वीकृति धनराशि रूपये 2,05,72,682.00 (दो करोड़ पांच लाख बहत्तर हजार छह सौ बयासी मात्र) का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी किए जाने की विधिक बाध्यता है।

अत: सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद से संबंधित हिण्डन यमुना दोआब बन्ध ग्राम शहदरा की प्रयुक्त भूमि के भू-प्रतिकर के भुगतान के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका (सी) संख्या-16868/2025 सरनी बनाम उ0प्र0 राज्य व 4 अन्य में द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 के अनुपालन हेतु वित्तीय स्वीकृति धनराशि रूपये 2,05,72,682.00 (दो करोड़ पांच लाख बहत्तर हजार छह सौ बयासी मात्र) के भुगतान के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध-

उक्त भुगतान करने के पूर्व पुन: एक बार भूमि के स्वामित्व के अभिलेखों एवं तत्सम्बन्धी गणनाचक्र का प्रवर्त्त नियमों के प्रकाश में भलीभांति परीक्षण एवं समाधान कर लेने के पश्चात ही भुगतान सही भू-स्वामी को किया जाए। किसी गलत भू-स्वामी को किए गए भुगतान के लिए अथवा एक ही भू-स्वामी को उसी भूमि के लिए एक से अधिक बार नियमों के विरूद्ध भुगतान करने पर यह एक वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके कारित होने पर सम्बन्धित समस्त अधिकारी/अभियन्ता/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि कृपया व्यय की जाने वाली धनराशि रूपये 2,05,72,682.00 (दो करोड़ पांच लाख बहत्तर हजार छह सौ बयासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4700-06-050-10-16-24 पूर्वी यमुना नहर (वाणिज्यिक) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 25 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सिद्धाशरण पाण्डेय
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता, स्तर-1 (पश्चिम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, मेरठ।
6- मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, ओखला, नई दिल्ली।
7- अनु सचिव(लेखा)/आहरण वितरण अधिकारी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
9- अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, गाजियाबाद।
10- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद।
11- सिंचाई अनुभाग-9
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
13- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
चन्द्र भूषण
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।